नम्बर मुकदमा 241/2024
रामस्वरूप बनाम गिरधारी लाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 241/2024

रामस्वरूप पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति मेघवाल उम्र 42 वर्ष निवासी मिर्जेवाला हाल निवास गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र श्री रामचन्द जाति मेघवाल निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री दिनेश कुमार छाबड़ा अधिवक्ता – – अप्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–08.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि चक 11 एफ बड़ा पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 79/61 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 5.313 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारी पुत्र रामचन्द्र के नाम 2/21 यानि 0.506 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/3 हिस्सा यानि 0.1686 है. कृषि भूमि वादी रामस्वरूप पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति मेघवाल निवासी मिर्जेवाला हाल निवास गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसके सफल होने की पुरी पुरी सम्भावना है तथ्यों के पुनरावृति निवारण हेतू दावा के तथ्यो को इंस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर साथ पढ़े जावे। अप्रार्थी गांव गदरखेड़ा में निवास करता है, अप्रार्थी के मन [illegible] बेईमानी आ गई है तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि में मन [illegible] से वंचित करने के आश्य से अपने नाम [illegible] की फिराक में है यदि अप्रार्थी ऐसा करने में [illegible] होने

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी अपने हक व अधिकारो से वंचित हो जोयगा तथा अपूर्णीय क्षति कारित होगी अप्रार्थी को पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्सा को रहन, बैय अन्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है यदि अप्रार्थी ऐसा करने में सफल हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा मुकदमाबाजी बढ़ेगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के हक में है। प्रार्थना पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा इंस अमर की जारी की जावे कि ता फैसला दावा चक 11 एफ बड़ा पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 79/61 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 5.313 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारी पुत्र रामचन्द्र के नाम 2/21 यानि 0.506 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी के 1/3 हिस्सा यानि 0.1686 है. कृषि भूमि को अप्रार्थी किसी अन्य को रहन बैय, मुन्तकिल ना करे तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिती रखी जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार यहकि मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में से महज उपरोक्त अनवान का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने के तथ्य स्वीकार है मद के शेष तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। वाद पत्र के तथ्यों को प्रार्थना पत्र के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि दोनो पृथक पृथक दर्ज होते है एवं ना हीं वाद पत्र की प्रति ही प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है। मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार नहीं है। प्रार्थी अथवा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बिना सम्बन्धित विधि के प्रावधानों का अवलोकन किये प्रार्थी का कथित रूप से जन्म से ही हक व हिस्सा होना कथन किया है जिसके सम्बन्ध में सही तथ्य यह है कि रामचन्द्र के देहान्त उपरान्त उनके तीन पुत्रों के नाम से विरास्तन इंतकाल संख्या 38 दिनांक 09.11.1977 को स्वीकृत हुआ जो कि प्रथम श्रेणी के वारिसान में होने के कारण एवं अप्रार्थी मुजीब के आज भी जिन्दा होने के कारण न तो जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है एवं ना हीं अप्रार्थी मुजीब के जीवनकाल में प्रार्थी इसके सम्बन्ध में वाद अथवा खातेदार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत गिरधारी करने का अधिकारी है द्वितीय विधि के आज्ञापक बिन्दुओं पर यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि प्रार्थी की आयु 42 वर्ष है एवं 1977 में जब भूमि मिन अप्रार्थी के नाम से दर्ज हुई जिसे व्यतीत हुए 47 साल हो चुके है, तत्समय न तो प्रार्थी का [illegible] था और ना हीं प्रार्थी अपनी मां के पेट में था इसलिये न तो भूमि जद्दी जायदाद की [illegible] एवं ना हीं कथित रूप से प्रार्थी का [illegible] से हक व [illegible]कार [illegible] इसलिये अप्रार्थी मुजीब की स्वअर्जित कृषि भूमि [illegible] अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अथवा [illegible] मुजी[illegible] जीवनकाल में ही हक व हिस्सा की मांग करने का कतई अधिकारी नहीं है। वाद में विवाद की गयी कृषि भूमि पैत्रिक भूमि नहीं है अप्रार्थी मुजीब अ[illegible] खातेदारी कृषि भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

ऐलानिया खातेदार कृषक एवं काबिज काश्तकार है एवं विधि के विधान के अन्तर्गत तथा अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अपनी खातेदारी कृषि भूमि को हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जब प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा विवादित भूमि 0.506 है. में नहीं है तो प्रार्थी को नुकसान होना कतई संभाव्य नहीं है एवं ना हीं प्रार्थी का कोई हक व अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में है इसके अलावा प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी से राशि की प्राप्ति कर वह अपने कथित अधिकार की पूर्ति भी पूरी कर चुका होने के कारण प्रार्थी न तो स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है एवं ना हीं खातेदार अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अधिकारी होने के कारण एक खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा ही प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद में वर्णित वेग, आधारहीन एवं साक्ष्यविहिन तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्राईमा फेसी केस होना, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना अथवा अपरिमेय क्षति प्रार्थी को होना कतई स्वीकार नहीं है इसलिये भी प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। यहकि मद संख्या 3 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी वांछित अनुतोष एक खातेदार कृषक के खिलाफ प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। अतिरिक्त कथन– यहकि प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैन्ड से नहीं आया है एवं सही तथ्यों को छुपाया है इसलिये कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यहकि प्रार्थी/वादी के द्वारा जिन जिन प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है उन समस्त को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि कानूनी बिन्दु एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का मत यही है कि जो पक्षकार वाद में है उन समस्त को विविध प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त कानूनी व आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं होने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। यहकि विवादित भूमि के सन्दर्भ में परिवार में विवाद करने पर अप्रार्थी मुजीब की दोनो पुत्रियों रानी देवी पत्नी श्री नारायण राम एवं मन्जू देवी पत्नी औमप्रकाश के द्वारा अप्रार्थी मुजीब से कोई विवाद ना करते हुए अपने अपने शपथ पत्र इस आशय के निष्पादित करवा दिये कि वे विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं लेती है एवं उनके द्वारा अपने अपने हिस्से का परित्याग अपने भाई साहबराम के पक्ष में कर दिया है। इसी प्रकार से प्रार्थी के द्वारा विवाद किये जाने पर अप्रार्थी मुजीब के द्वारा प्रार्थी को 3,25,000/– रूपये उसके कथित हिस्से की ऐवज में उसके बैंक खाता, केनरा बैंक, खाता संख्या 110519131828 में बैंक अन्तरण से अन्तरित कर अदा किये जिसकी प्राप्ति उपरान्त प्रार्थी के द्वारा दिनांक 19.11.2024 को एक हल्फनामा रोबरू गवाह विनोद कुमार पुत्र भंवर लाल इस संदर्भ में निष्पादित कर एवं नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर अप्रार्थी के सुपुर्द किया कि उसका अप्रार्थी की सम्पति में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। प्रार्थी को जो राशि अन्तरित की गयी उसकी रसीदात [illegible] की प्रतियां संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र है जिसके अवलोकन [illegible] कट है कि प्रार्थी [illegible] लालचवश होकर वाद प्रस्तुत करने का कतई अधिकारी [illegible] विरुद्ध [illegible] प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी के खिलाफ [illegible] यहकि अप्रार्थी विवाद की गयी कृषि भूमि का ऐलानिया खातेदार एवं काबिज काश्तकार है इसलिये अपनी भूमि का हर प्रकार से उ[illegible]ग उपभोग करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

विधिक अधिकारी है। कानूनन भी खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। चूंकि प्रार्थी विवाद की गयी भूमि का न तो खातेदार है, ना हीं सहकाश्तकार है एवं ना हीं विवाद की गयी कृषि भूमि के कब्जा काश्त में है इसलिये प्रार्थी को नुकसान होना कतई संभाव्य नहीं है एवं ना ही दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी होने के कारण प्रार्थी का कोई मकसद समाप्त होगा। वेग तथ्यों पर प्रस्तुत विधि विरूद्ध आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। यहकि प्रार्थी का न तो प्राईमाफेसी केस बनता है एवं ना हीं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं ना हीं प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा पारित ना होने की सूरत में कोई क्षति ही है इसलिये भी प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्ररतुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी बाबत जारी करने अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि अप्रार्थी रिकॉर्डे खातेदार है। अप्रार्थी पैतृक कृषि भूमि में मन उतरदाता के हक व हिस्सा से वंचित करने के आशय से अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अप्रार्थी रहन, बैय करने की फिराक में है यदि अप्रार्थी ऐसा करने में सफल हुए तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी अपने हक व अधिकारो से वंचित हो जोयगा तथा अपूर्णीय क्षति कारित होगी अप्रार्थी को पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्सा को रहन, बैय अन्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है यदि अप्रार्थी ऐसा करने में सफल हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा मुकदमाबाजी बढ़ेगी। अतः प्रकरण में अन्तरिम स्थगन को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। **वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थी किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारिणी नहीं है। प्रार्थी अथवा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बिना सम्बन्धित विधि के प्रावधानों का अवलोकन किये प्रार्थी का कथित रूप से जन्म से ही हक व हिस्सा होना कथन किया है जिसके सम्बन्ध में सही तथ्य यह है कि रामचन्द्र के देहान्त उपरान्त उनके तीन पुत्रों के नाम से विरास्तन इंतकाल संख्या 38 दिनांक 09.11.1977 को स्वीकृत हुआ जो कि प्रथम श्रेणी के वारिसान में होने के कारण एवं अप्रार्थी मुजीब के आज भी जिन्दा होने के कारण न तो जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है एवं ना हीं अप्रार्थी मुजीब के जीवनकाल में प्रार्थी इसके सम्बन्ध में वाद अथवा खातेदार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत गिरधारी करने का अधिकारी है द्वितीय विधि के आज्ञापक बिन्दुओं पर यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि प्रार्थी की आयु 42 वर्ष है एवं 1977 में जब भूमि मिन अप्रार्थी के नाम से दर्ज हुई जिसे व्यतीत हुए 47 साल हो चुके है, तत्समय न तो प्रार्थी का जन्म हुआ था और ना हीं प्रार्थी अपनी मां के पेट में था इसलिये न तो भूमि जद्दी जायदाद की परिधि में आती है एवं ना हीं कथित रूप से प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार ही है इसलिये अप्रार्थी मुजीब की स्वअर्जित कृषि भूमि को पैत्रिक का नाम देकर प्रार्थी वाद अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अथवा अप्रार्थी मुजीब [illegible] हक व हिस्सा की मांग करने का कतई अधिकारी नहीं है। वाद में वि[illegible] कृषि भूमि पैत्रिक भूमि नहीं है अप्रार्थी मुजीब [illegible] खातेदार कृषक एवं काबिज काश्तकार है एवं विधि के [illegible] के अन्तर्गत तथा अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अपनी खातेदारी कृषि भूमि को हर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत विरास्तन इन्तकाल जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रश्नगत भूमि अपने पिता रामचन्द्र पुत्र दाना राम से विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रार्थी द्वारा अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवाद पारिवारिक सदस्यों (पिता–पुत्र) के मध्य है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए, सम्पत्ति की संरक्षा के लिए एवम् वाद के न्यायनिर्णन हेतु प्रकरण में निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 03.12.2024 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिंनाक 08.09.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

1161-91236

Scanned with CamScanner